फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री कमलेश रेगर पुत्र श्री नारायण लाल रेगर, निवासी रेगर मोहल्ला, केलवा जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, राजसमन्द जिला राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 22/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.06.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द से जरिये पत्रांक क्रमांक आर. टी.आई /23/26–27 दिनांक 18.04.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 5 की सूचना प्रश्नवाचक होने से एवं खर्च मद विवरण की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होने पर सूचना तैयार किया जाना संभव है तथा बिन्दु संख्या 6 की सूचना प्रश्नवाचक है तथा कार्मिकों की स्थायी या अस्थायी रूप से भर्ती उच्च कार्यालय द्वारा की जाती है बिन्दु संख्या 7 एवं 8 की सूचना प्रश्नवाचक है तथा ईनिविदा या नीलामी टेन्डर विवरण की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होने पर सूचना तैयार किया जाना संभव है । लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, राजसमन्द की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई समस्त बिन्दुओं की सूचना प्रश्नवाचक होने से नियमानुसार दिया जाना संभव नही होने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)